मण्डल:- अयोध्या,जनपद:- अयोध्या,तहसील:- सोहावल

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 4428/2022

छेदी लाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202242345024428

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 19/12/2022

अंतिम आदेश

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र छेदीलाल पुत्र सियाराम द्वारा प्रबन्धक मां वैष्णो देवी शिक्षण प्रशिक्षण महाविधलय पूरे कीरत देवराकोट परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या के द्वारा धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पारित तहसीलदार सोहावल की आख्या दिनांक 6.12.2022 के आधार पर कायम किया गया।

तहसीलदार सोहावल की आख्यानुसार गाटा संख्या 255/0.426हे0, में से रक्बा 0.128हे0 भूमि स्थित ग्राम देवराकोट परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या का सहखातेदार वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सुरक्षित श्रेणी की नही है। तथा किसी भी राजस्व न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नही है। और न ही उक्त भूखण्ड किसी स्थानीय निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी महायोजना के अन्तगत है। उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। सहखातेदारों का शपथ पत्र संलग्न है। उक्त भूमि अकृषिक प्रयोजन में है। अकृषिक प्रयोजन होने के कारण उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के तहत उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति तहसीलदार सोहावल द्वारा की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सोहावल की आख्या दिनांक 6.12.2022 व नकल खतौनी एवं खसरा का अवलोकन किया गया, तहसीलदार सोहावल की आख्या व नकल खतौनी एवं खसरा के अवलोकन से स्पष्ट है। कि ग्राम देवराकोट परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या। में स्थित गाटा संख्या 255/0.426हे0, में से रक्बा 0.128हे0 संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सुरक्षित श्रेणी की नही है। तथा किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नही है। और न ही उक्त भूखण्ड किसी स्थानीय निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी महायोजना के अन्तर्गत है। यह घोषणा केवल भू राजस्व की दृष्टि से की जाती है। अन्य अधिनियमों एवं महायोजना पर इसका प्रभाव नही होगा। इस भूमि का प्रयोग व इसपर निर्माण अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के महायोजना के अनुसार ही अनुमन्य होगा। इस सम्बन्ध में सचिव विकास, प्राधिकरण अयोध्या के पत्रांक 3658/अ0वि0प्राधि0/नियो0अनु0/2020-21 दिनांक 23.11.2021 के अनुसार महायोजना जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय क्रिया विभिन्न भू-उपयोग में अनुमन्य की गयी है, प्रस्तावित भूमि पूर्ण रूप से अकृषिक प्रयोजन में है। वादी द्वारा सर्किल रेटलिस्ट के अनुसार निर्धारित शुल्क मु0 6375 रूपये चालान संख्या-743681600 व विभाजन शुल्क मु0 1000 रूपये चालान संख्या-743773836 दिनांक 1.9.2022 को जमा किया जा चुका है तथा शासनादेश के अनुसार न्याय शुल्क मु0 6375 रूपया का स्टाम्प अदा कर दिया गया है। इस प्रकार तहसीलदार सोहावल की आख्या के आधार पर उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में दिये गये प्रयोजनों के इतर भूमि का उपयोग होता है या धारा 80(4) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में उल्लिखित प्राविधानों इस धारा के अधीन उपजिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा जारी नही की जायेगी यदि उसका समाधान हो जाये कि भूमि कृषि का उपयोग उस प्रयोजन के लिये किया जाना हो जिससे (सार्वजनिक न्यूसेन्स) होने की संभावना है या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरूद्ध हो'का उल्लंघन होता है या किसी प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण किया गया है अथवा आवेदक के द्वारा शपथ पत्र में दर्शाये गये कथनानुसार पॉच वर्ष की अवधि में पक्का निर्माण नही कर लिया जाता है तो अकृषिक हेतु उदघोषित आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। अभिलेख असत्य पाये जाने पर भी यह आदेश स्वतः समाप्त माना जायेगा।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सोहावल की आख्या एवं अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों से सहमत होते हुए ग्राम देवराकोट परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की खतौनी सन् 1427-1432फ0 के खाता संख्या-722 पर अंकित छेदीलाल वर्मा पुत्र सियाराम द्वारा प्रबन्धक मां वैष्णो देवी शिक्षण प्रशिक्षण महाविधलय पूरे कीरत देवराकोट परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला अयोध्या की गाटा संख्या-255/0.426हे0, में से रक्बा 0.128हे0 भूमि को उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(2)में उल्लिखित शर्तों के अधीन अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया जाता है, भविष्य में यदि कोई विपरीत/प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है। तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यदि प्रस्तावित गाटे का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है/किया जाता है। तो वह अंश इस आदेश से मुक्त होगा। इस भूमि का प्रयोग व इसपर निर्माण अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के महायोजना के अनुसार ही अनुमन्य होगा। तहसीलदार सोहावल की आख्या एवं नजरी नक्शा इस आदेश का अंग रहेगी। तदनुसार अभिलेखों में अंकन हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सोहावल को भेजी जाय। तथा आदेश की एक प्रमाणित प्रति संबंधित उप निबंधक को भी भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

उप जिलाधिकारी,

सोहावल अयोध्या।

न्यायालय उपजिलाधिकारी सोहावल-अयोध्या

प्रमाणित मूल से मिलान

शब्द लगभग 375

सत्य प्रतिलिपि

अहलमद/पेशकार

उपजिलाधिकारी-सोहावल

अयोध्या

Judgement/Print_Court_Order_Demo.aspx?act_cd=75&section_cd=766&file_dt=766&caseno=4428&

Scanned with CamScanner